



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250649
CG-DL-E-13122023-250649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5088]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945

No. 5088]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2023

सं. 52/2023

विषय: आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 10 के क्रम सं. 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 5317(अ).—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली दिनांक 29.05.2023 की अधिसूचना सं. 09/2023 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगा/जोड़ा जाएगा:

क्र. सं.	टैरिफ मद (एचएस) कोड	मद विवरण	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
55	1006 2000 100 6 30 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गैर-बासमती चावल	<ul style="list-style-type: none"> यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।
57	1006 3020	बासमती चावल (डीहस्क्ड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारब्वायल्ड अथवा रॉ कन्डिशन में	<ul style="list-style-type: none"> यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। 	<ul style="list-style-type: none"> यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।

3. अधिसूचना का प्रभाव:

मौजूदा अधिसूचना सं. 09/2023 दिनांक 29.05.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईए/ईआईसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तथापि, शेष यूरोपीय देशों को निर्यात हेतु इस अधिसूचना की तिथि से और छह माह हेतु निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

[फ़ा. सं. 01/91/171/35/एम 20/ईसी/ई-18655]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2023

No. 52 /2023**Subject: Amendment in Policy condition of Sl. No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC(HS) Export Policy, 2018 –reg.**

S.O. 5317(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended read with para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby makes the following amendment to the **Notification No. 09/2023 dated 29.05.2023**, with immediate effect policy condition at Sl. No. 55 and 57, Schedule-2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 for export of rice (Basmati and Non-Basmati).

2. The following policy conditions shall be amended/added to the existing entries of Chapter 10 at Sl. No. 55 and 57:-

Sl. No.	Tariff item HS code	Item Description	Present Policy Condition	Revised Policy Condition
55	1006 2000 1006 30 1006 3010 1006 3090 1006 40 00	Non-Basmati Rice	<ul style="list-style-type: none"> Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency’. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months. 	<ul style="list-style-type: none"> Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency’. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months.
57	1006 3020	Basmati Rice (Dehusked (Brown), semi-milled, milled both in either par-boiled or raw condition.	<ul style="list-style-type: none"> Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspections Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months. 	<ul style="list-style-type: none"> Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspections Agency shall not be mandatory for export to remaining European countries with effect from the date of this notification for a period of six months.

3. Effect of the Notification:

Existing Notification No. 09/2023 dated 29.05.2023 is amended to the extent that export of Rice (Basmati and Non-Basmati) to EU member states and other European Countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland only will require Certificate of Inspection from EIA/EIC. Export to remaining European countries will not require Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency for export from the date of this notification for a period of six months.

[F.No. 01/91/171/35/AM20/EC/E-18655]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex officio Addl. Secy.